कार्यालय उपसंचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/2997/प्रक. क्र. 608/वियो/न.नि.वि./2005 दुर्ग, दिनांक 31.10.05

प्रति,

आवेदक श्री/श्रीमती प्रधान न्याय प्रतिनिधी सभा दुर्ग

ग्राम दुर्ग तहसील दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- दुर्ग-भिलाई विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग की जानकारी प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 27.10.05।

उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत खसरों का उपयोग शासन द्वारा अनुमोदित दुर्ग/भिलाई योजना अनुसार व्यापक तौर पर निम्नानुसार है -

1.	ग्राम का नाम/प.ह.न.	खसरा क्रमांक/रकबा/	भूमि उपयोग
	दुर्ग-16	1314	आवासीय + वाणिज्यिक + औद्योगिक + [illegible]

टीप :- उपरोक्त जानकारी संपूर्ण खसरे के आधार पर दी गई है।

2. विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना क्रियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रिक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात् उक्त भूमि अथवा इसके कुछ भाग का उपयोग अन्य श्रेणी में भी आ सकता है।
3. विकास योजना के अनुरूप उपयोग की जानकारी प्रदान करने से तात्पर्य विकास अनुज्ञा/अनुमति दिया जाना नहीं है। जिसके लिए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 म. प्र. नगर पालिक (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वेधन शर्तें) नियम 1998 एवं अन्य संबंधित अधिनियम/निगम के अन्तर्गत अनुज्ञा करना आवश्यक है।
4. उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग भी सम्मिलित है, जिसका विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा।
5. म. प्र. नगर तथा निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के अन्तर्गत इसे किसी प्रकार की अनुमति न समझा जावें।
6. इसे सम्पत्ति अभिलेख न समझा जावें।
7. इसे भूमि क्रय-विक्रय एवं भू-परिवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र न समझा जावें।
8. यदि उपरोक्त खसरे का अनुमोदित अभिन्यास हो तो भूमि उपयोग स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार ही मान्य होगा।

उपसंचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
दुर्ग